

आराजी वा तलपट मानचित्र सँ सम २० पी० २०१८/१२३/१६३४०६३७३ दिनांक १६.२.०१९ बरेली विकास प्राधिकरण बरेली से स्वीकृत कराया औरउत्तरप्लॉट कायम किये जितमे से प्लॉट नं० रकबई वर्ग मी. खरीदार - बयनामाहाजा क्रय करना चाहते है तथा फर्म उसको विक्रय करना चाहती है खरीदार बयनामा हाजा ने जो कीमत लगाई है वह माकूल और मुनासिब है और फर्म वो स्वीकारहै लिहाजा

खूब सोचकरसमझकर उक्त प्लॉट नं० रकबई वर्ग मी० वाकै बिहार मान नगला बड़ी बिहार " आकाशा होम्स " बरेली महदूदा जैल ममलूका व मकबूजा फर्म मजकूर जो कितनी जगह रहन बय वकफ व जमानत व कुर्की कर्जेजात सरकारी व गैरसरकारी आदि मे नही है गर्ज कि सब तरह से पाक व साफ है ऐसाही इतमिनान क्रेता को दिलाकर साथ सब हदूद व हकूक मिराफिक दाखली व आराजी के बिलरेवज मु० के बदस्त

..

..

के बेच डाली और बय कतई करदी जरे समनतमामव कमाल हस्ब तपसील जैल खरीदार से वसूल पाकर शय मुवैया हाजा पर खरीदार को मालकानाकाबिज व दखील कर दिया अब फर्म मजकूर का शय मुवैया हाजा मे कोई हक किसी किस्म का बाकी नही रहा ना आयन्दा को होगा बय का मिल नापिज होगई अदल बदल होगई यह शर्त साफ तौर पर करार पाई कि अगरसानी उलहाल कोईसहीम याशरीक हकदारया किफालतदार या अन्य जो कोई शख्स पैदा होकर दावा अपना बाबत शय मुवैया हाजा के करे औरउसके दावे से शय मुवैया हाजा का जुजया कुल कब्जा खरीदार से निकल जातेतो खरीदार को हक मजाज वापसी जरे समन जुज का जुज व कुल का कुल मय हजा व खर्च व नुकसानकीवापसी की जिम्मेदारी फर्म मजकूर से रहेगी

विक्रीत सम्पत्ति का आज से पूर्व मैंने कोई बयनामा मु० बय मुकतार नामा
वसीयत नामा दान पत्र आदि नहीं किया है विक्रीत सम्पत्ति के स्वामित्त
कब्जा व चौहददी में कोई विवाद नहीं है विक्रीत सम्पत्ति की चौहददी
में कोई वाणिज्यिक व्यवसायिक गति विधि विद्यमान नहीं है निर्धारित
भूमिधार रु० प्रति वर्ग मी० से मा० सरकारी

रु० पर स्टाम्प अदा किया है लिहाजा यह बयनामा कतई लिख दिया कि
सनद रहे।

हदूदअर्वा

पू०

प०

उ०

द०

पैमायश सलेंगनकशा मेदज है

तपसील जरेसमन

घोषणा

हम पक्षकार घोषित करते हैं कि विक्रीत सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के क्षेत्राधिकारमेवर्णित नगरीय क्षेत्र के दिये गये सीमाकन पृष्ठ सँ क्रम सँ निकटतमनामित मार्ग सँ से दूरी लगभग मी है मूल्यांकन सूची के दिये गयेसिग्मेन्ट के का० कोड सँ मे निर्धारित दर के अनुसार गणना कर स्टाम्प अदाकियाहै प्रलेख मे दिये गये विवरण कीपूर्ण जिम्मेदारी हम पक्षकारो कीहैधारा 27 स्टाम्पअधि०का पूर्णपालन कियाहै